प्रकरण कमांक 37/14

न्यायालयः शैलजा गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भांडेर जिला दतिया (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक-37/14

संस्थापित दिनांकः-29.1.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वाराः-आरक्षी केन्द्र
भांडेर, जिला-दतिया मध्यप्रदेश

.....अभियोजन

विरूद्ध

1 खेमराज पुत्र कुंजीलाल उम्र 23 वर्ष जाति वर्मा निवासी रेल्वे कॉलोनी आर.बी.आई. क्वाटर 92-ए मथुरा उ.प्र.....फौत

2 प्रेमा उर्फ प्रेमबती पत्नी खेमराज उम्र 50 वर्ष जाति वर्मा निवासी रेल्वे कॉलोनी आर. बी.आई. क्वाटर 92-ए मथुरा उ.प्र.

3 धर्मेन्द्र पुत्र खेमराज उम्र 24 वर्ष जाति वर्मा निवासी रेल्वे कॉलोनी आर.बी.आई. क्वाटर 92-ए मथुरा उ.प्र.

4 पुष्पेन्द्र पुत्र खेमराज उम्र 20 वर्ष जाति वर्मा निवासी रेल्वे कॉलोनी आर.बी.आई. क्वाटर 92-ए मथुरा उ.प्र.

.....अभियुक्तगण

: : निर्णय : :

आज दिनांक 10 / 8 /2016 को घोषित किया गया।

1. नामांकित अभियुक्तगण पर भा0दं0सं0 की धारा 498-ए के तहत दिनांक 22.10.13 को दिन के 11 बजे या उसके लगभग अकबरपुर मोहल्ला भांडेर अंतर्गत थाना भांडेर में फरियादिया माधुरी कोरी के पति या पति के नातेदार होते हुये दहेज में मोटरसाईकिल की मांग को लेकर उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक कूरता कारित करने का आरोप है ।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि फरियादिया माधुरी एवं अभियुक्त धर्मेन्द्र पति-पत्नी हैं । अभियुक्त प्रेमा फरियादिया की सास, खेमराज ससुर, पुष्पेन्द्र देवर है । प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, कि प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त खेमराज की मृत्यु हो जाने से

शैलजा गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भांडेर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

उसके विरूद्ध अपराध का उपशमन किया गया है तथा फरियादी माधुरी द्वारा समस्त अभियुक्तगण के साथ राजीनामा आवेदन पेश किया गया है परन्तु अभियुक्तगण पर आक्षेपित आरोप अंतर्गत धारा 498-ए भा0दं0सं0 का अपराध शमनीय प्रकृति का न होने से राजीनामा आवेदन निरस्त किया गया है।

3. अभियोजन बृतांत संक्षेप्तः यह है कि फरियादिया माधुरी की शादी दिनांक 16.2.10 को अभियुक्त खेमराज के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी । शादी में फरियादिया के पिता द्वारा अपने हैसियत के अनुसार दान-दहेज दिया गया । फरियादिया शादी के बाद जब ससुराल गई तो समस्त अभियुक्तगण उसको ताने देने लगे की फरियादिया के पिता ने शादी में मोटरसाईकिल नहीं दी है । फरियादिया द्वारा यह कहने पर की उसके पिता की मोटरसाईकिल देने की हैसियत नहीं हैं तब अभियुक्तगण उसको प्रताडित करने लगे फरियादिया जब भी अपने मायके आती थी तब इस संबंध में अपने माता-पिता को बताती थी दिनांक 22.10.13 को समस्त अभियुक्तगण फरियादिया को उसकी ससुराल मथुरा से, मायके भांडेर छोड गये और कहा कि ''जब तक तेरा बाप मोटरसाईकिल व 50 हजार रूपये नहीं देगा तब तक वे उसे लेने नहीं आयेंगे'' और अभियुक्तगण फरियादिया की डेढ वर्ष की बच्ची निधि को फरियादिया से छुडाकर अपने साथ ले गये । फरियादिया द्वारा तीन दिन तक अभियुक्तगण का इंतराज किया गया । अभियुक्तगण द्वारा फरियादिया को न लेने आने पर फरियादिया द्वारा थाना भांडेर में दिनांक 25.10.13 को घटना के संबंध में दी गई मौखिक सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 लेखबद्ध करते हुये प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान फरियादिया माधुरी साक्षी उर्मिला, नवलकिशोर एंव कल्लू के द.प्र.सं. की धारा 161 के तहत पुलिस कथन लेखबद्ध किये गये । समस्त अभियुक्तगण को दिनांक 30.12.13 को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये । समस्त आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 29.1.14 को अभियोग

Scanned by CamScanner

पत्र अंतर्गत धारा 498-ए भा.द.सं. के तहत न्यायालय में पेश किया गया जिस पर से न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया ।

4. अभियुक्तगण ने अपने अभिवाक में पद कमांक 1 में वर्णित अपराध करने से इंकार किया है द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अभियुक्तगण के परीक्षण के दौरान अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुये उन्हें प्रकरण में असत्य तौर पर आलिप्त किये जाने बावत कथन किये हैं एवं अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है ।

5. प्रकरण के न्यायोचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

   1. क्या, अभियुक्तगण ने दिनांक 22.10.13 को दिन के 11 वजे या उसके लगभग अकबरपुर मोहल्ला भांडेर अंतर्गत थाना भांडेर में फरियादिया माधुरी कोरी के पति या पति के नातेदार होते हुये दहेज में मोटरसाईकिल की मांग को लेकर उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक कूरता कारित की ?

   2. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

-:निराकरण सनिष्कर्ष:-

<u>विचारणीय प्रश्न कं. 1</u>

6. अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में फरियादिया माधुरी अ.सा.1, उर्मिला अ.सा.2 एवं नवलकिशोर अ.सा.3 को परीक्षित कराया है । उक्त समस्त साक्षीगण का कहना है कि फरियादिया माधुरी का विवाह अभियुक्त धर्मेन्द्र के साथ दिनांक 16.2.10 को हुआ था । शादी के कुछ समय बाद ही अभियुक्तगण फरियादिया माधुरी की काम को लेकर कहा-सुनी हो गई थी जिसके संबंध में फरियादिया द्वारा थाना भांडेर में रिपोर्ट लिखाई थी । फरियादिया माधुरी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 पर अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं । अभियोजन द्वारा समस्त साक्षीयों को पक्ष विरोधी घोषित किया गया है । उक्त समस्त साक्षीगण ने न्यायालय की अनुमति से अभियोजन द्वारा दिये गये इस सुझाव से इंकार किया है कि

शैलजा गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भांडेर जिला दतिया (म.प्र.)

Scanned by CamScanner

अभियुक्तगण फरियादिया से शादी के पश्चात से ही मोटरसाईकिल न देने को लेकर ताना देने लगे थे और प्रताडित करने लगे थे । उक्त साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादिया से पल्सर मोटरसाईकिल व 50 हजार रूपये की मांग की थी । सभी साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 22.10.13 को अभियुक्तगण ने फरियादिया से पल्सर गाडी एवं 50 हजार रूपये की मांग की और कहा कि उक्त मांग पूरी न होने पर फरियादिया को उसके पिता के घर पर छोडकर चले जायेंगे । खंडन करने के आशय से साक्षी माधुरी अ.सा.1 का सामना प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 व पुलिस कथन प्र.पी.2 से कराये जाने पर व साक्षी उर्मिला अ.सा.2 तथा नवलकिशोर अ.सा.3 का सामना उनके संबंधित पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी.3 व 4 से कराये जाने पर जिसमें उक्त आशय के कथन अंकित है, अपने द्वारा पुलिस को देने से इंकार किया है । उक्त समस्त साक्षीयों ने अभियुक्तगण से राजीनामा होने संबंधी अभियोजन के सुझाव को स्वीकार किया है परन्तु राजीनामा होने के कारण असत्य कथन देने संबंधी अभियोजन के सुझाव से इंकार किया है । अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है ।

7. इस प्रकार जबकि स्वयं फरियादिया माधुरी अ.सा.1 एवं समर्थनकारी साक्षी उर्मिला अ.सा.2 एवं नवलकिशोर अ.सा.3 जो कि फरियादिया के माता-पिता होकर उससे हितबद्ध है, और जिन पर सम्पूर्ण सारतः अभियोजन मामला निर्भर करता है, ने अभियोजन मामले का कदाचित समर्थन न करते हुये अभियुक्तगण द्वारा फरियादिया माधुरी से दहेज में मोटरसाईकिल व 50 हजार रूपये की मांग करने व न देने पर फरियादिया को उसके मायके छोड जाने संबंधित अभियोजन के सुझाव से इंकार किया है । तब अभियोजन का मामला युक्तियुक्त रूप से विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है ।

8. अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे प्रमाणित करना होता है जबकि विचाराधीन प्रकरण में अभियोजन की ओर से ऐसी

Scanned by CamScanner

कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष साक्ष्य पेश नही की है जिससे अभियोजित घटना दिनांक 22.10.13 को दिन के 11 बजे या उसके लगभग अकबरपुर मोहल्ला भांडेर अंतर्गत थाना भांडेर में फरियादिया माधुरी कोरी के पति या पति के नातेदार होते हुये दहेज में मोटरसाईकिल की मांग को लेकर उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करना प्रमाणित होता हो ।

विचारणीय प्रश्न कमांक 2

9. कथित घटना के संबंध में अभियोजन मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण खेमराज, प्रेमा उर्फ प्रेमवती, धर्मेन्द्र, पुष्पेन्द्र को उन पर आक्षेपित आरोप अतंर्गत धारा 498-ए भा0दं0सं0 से दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। उनके जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11. अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध की अवधि के संबंध में धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत प्रतिवेदन तैयार किया जाए जो निर्णय का अंग होगा।

12. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं हैं ।

निर्णय दिनांकित व हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया।
10.8.16
(शैलजा गुप्ता)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी
भांडेर जिला दतिया (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया
10.8.16
(शैलजा गुप्ता)
न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी
भांडेर जिला दतिया (म.प्र.)

Scanned by CamScanner